

कार्यालय असिस्टेंट कलेक्टर/उपजिलाधिकारी

सदर, आजमगढ़

पत्रांक : 474/S.T.-S.D.M.(S)

दिनांक : 25/09/2019

LAND USE CERTIFICATE

तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 15/04/2019 एवं राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम-गाहूखोर, परगना-निजामाबाद, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ की खतौनी सन् 1418 फ० लगायत् 1423 फ० के गाटा संख्या 34/1, 34/2, व 34/3 से कुल रकबा 4.280 एकड़ यानि 17320 वर्गमीटर भूमि पूर्वाचल शिक्षा एवं जन सेवा न्यास के नाम भू-राजस्व अभिलेखों में अकृषिक भूमि अंकित है। पूर्वाचल शिक्षा एवं जन सेवा न्यास उक्त भूमि का मालिक एवं काबिज है।

न्यायालय असि० कले० प्रथम/उपजिलाधिकारी प्रथम ने वाद संख्या- 341 दिनांक 17/04/2019 अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि० द्वारा उक्त भूमि को कृषिक भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किया है। उक्त भूमि पर विद्यालय का भवन निर्मित है एवं खेल का मैदान स्थित है।

उक्त भूमि का प्रयोग शैक्षिक कार्यों के लिए किया जा रहा है जो धारा 143(ज०वि०अधि०) के अनुसार विधिमान्य है।

